दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

107/1

पत्रांक : 1074 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 16 जून 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सम्भल।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50086598202	IFSC Code ALLA0210565	190.893

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 शर्की दक्षिणी वार्ड सं0 03 मे अली नवाज से नसीम के मकान तक एवं पास वाली गली, अतहर हुसैन के बराबर वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.247
2	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 सराय सादक नागों की सराय की वार्ड सं0 05 में नसीरूद्दीन से डा0 इन्तजार तक, डा0 इन्तजार के बराबर वाली गली, कय्यूम भाई से बराबर वाली गली एवं नवाबजान से शहाबुद्दीन तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.231
3	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 चौधरियान दक्षिणी वार्ड सं0 08 में अली वारिस से तब्बन तक, महमूद से शरीफ तक एवं रामकुँवर से जमील तक एवं पास वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (भाग–01)।	26.72
4	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 चौधरियान दक्षिणी वार्ड सं0 08 में मुरादाबाद सम्भल रोड से नब्बू तक एवं पास की अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (भाग–02)।	15.342
5	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 चौधरियान दक्षिणी वार्ड सं0 08 में नब्बू से कल्लू तक एवं सुलेमान से बराबर वाली एवं अन्य गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (भाग–03)।	11.771
6	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 गिन्नौरी पश्चिमी वार्ड सं0 09 मे नासिर सईद की पुलिया से तालाब के पीछे वाली गली एवं पास की गली, हाजी मसीतुल्ला से बराबर वाली गली एवं मुस्तकीम से मुन्ने तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.645
7	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 गिन्नौरी किदवईयान वार्ड सं0 10 मे बिलारी रोड से मुमताज तक एवं बिलारी रोड से सैफुल उलूम मदरसे तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (भाग–01)।	21.115

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

107/2

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
8	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 गिन्नौरी किदवईयान वार्ड सं0 10 मे शफीक भाई से बब्बू भाई तक, बब्बू भाई से बराबर वाली गली एवं शफीक भाई से बराबर वाली गली में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य (भाग–02)।	20.715
9	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 चौधरियान कन्नौजियान वार्ड सं0 11 में इन्तजार से प्रा0 विद्यालय तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.165
10	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 शर्की उत्तरी वार्ड सं0 13 मे इलियास से हसन नौगॉवा वालो तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.387
11	सम्भल	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 सिरसी	मौ0 शर्की मध्य वार्ड सं0 14 में कर्बला से कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.555
	योग				190.893

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेः–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

107/3

10– प्रस्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं प्रथम किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक